बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं0–9/विविध–13–10/2023(स्वा0)................................/पटना, दिनांक–..

डॉ० बाल्मीकि प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा, सोनपुर, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संयुक्त जॉच–समिति के पत्रांक–4977 दिनांक–15.12.2023 द्वारा अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग एवं सचिव, स्वास्थ्य विभाग के औचक निरीक्षण के दौरान दिनांक–13.12.2023 को संस्थान में शौचालय व पेयजल की सुविधा नहीं होने, कार्यवधि में प्रयोगशाला बंद रखने, संस्थान में पर्याप्त संसाधान होने के बावजूद बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं होने तथा दवा के वितरण एवं भण्डार पंजी को विधिवत संधारित नहीं करने के आरोप के आलोक में डॉ० गुप्ता से विभागीय ज्ञापन सं०–405(9) दिनांक–18.06.2024 के द्वारा आरोप–पत्र गठित कर बचाव का लिखित अभिकथन की मॉग की गयी। उक्त पत्र के आलोक में डॉ० गुप्ता का प्राप्त अभिकथन को युक्तियुक्त नहीं पाते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–980(9) दिनांक–04.10.2024 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

2. विभागीय अधिसूचना सं०–980(9) दिनांक–04.10.2024 के द्वारा उक्त अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के आलोक में महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, पटना, बिहार के पत्रांक–GEN No 2369/2024–2025 के द्वारा सूचित किया गया कि डॉ० गुप्ता की अगली वेतन वृद्धि की तिथि–01.07.2025 है। डॉ० गुप्ता दिनाक–31.10.2025 को सेवानिवृत्त हो चूके है। जिसके कारण एक वर्ष के स्थान पर मात्र चार माह ही दण्ड प्रभावी रहेगा।

3. डॉ० गुप्ता के द्वारा महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, पटना, बिहार का उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभाग में अभ्यावेदन समर्पित कर आरोप से विमुक्त करते हुए महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय को विभागीय निर्णय से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा मामले की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि चूंकि दिया गया दण्ड एक वर्ष तक प्रभावी नहीं रह सकता है एवं डॉ० गुप्ता सेवानिवृत्त भी हो गये है। उक्त आलोक में डॉ० गुप्ता के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–980(9) दिनांक–04.10.2024 द्वारा संसूचित दण्ड को विलोपित करने का विनिश्चय किया गया है।

4. अतएव डॉ० गुप्ता के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना सं०–980(9) दिनांक–04.10.2024 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना एक वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की संसूचित शास्ति को विलोपित किया जाता है।

5. उपर्युक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/विविध–13–10/2023(स्वा0) .... /पटना, दिनांकः–..................................

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एवं हक0) बिहार पटना के पत्रांक–GN:171220240204494, GEN No: 2369/2024–2025 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
01/01/2026 **सरकार के अवर सचिव।**

कृ०पृ०उ०

(15)

ज्ञापांकः–9 / विविध–13–10 / 2023(स्वा0) 01(9) / पटना, दिनांकः– 01.01.26

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं सारण प्रमंडल, छपरा / सिविल सर्जन, सारण / कोषागार पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव / सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना / प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० बाल्मीकि प्रसाद गुप्ता, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नवडीहा, सोनपुर, सारण सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–सी०ओ० डॉ० बी०पी० गुप्ता, हाउस नं०–26बी०, रोड नं०–02, गुरूसहाय लालनगर, नियर कम्यूनिटि हॉल मजिस्ट्रेट कॉलोनी, आशियाना, पटना–800025 मो० नं०–7903998605 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

01/01/2026
सरकार के अवर सचिव।